

11। पुलिस आदेश संख्या 203/88 यथा जापांक 2214/सक्स/ए।  
 दिनांक 18/3/88 द्वारा राज्य में प्रेषीय महानिरीक्षकों को जो अधिकार,  
 कर्तव्य एवं दायित्व से सम्बन्धित शाकित्यों प्रत्याघोषित की गई थीं, वे सारी  
 शाकित्यों, आरक्षी मुख्यालय एवं इससे आवश्यक विभागोंमें पदस्थापित क्रमशः  
 महानिरीक्षक, चिकित्सा भारत, बिहार, पटना/महानिरीक्षक, अमराध अनुसंधान  
 विभाग, बिहार, पटना/महानिरीक्षक विजन्त, बिहार, पटना/महानिरीक्षक,  
 तकनीकी भेदाभेद, बिहार, पटना/महानिरीक्षक, स्कास्ट्र बल, बिहार, पटना/  
 महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना को भी इस आदेश के तहत प्रत्योगित की  
 जाती हैं।

12। उपर्युक्त कण्डका एक भेदभनिर्दिष्ट महानिरीक्षकों को पुलिस  
 आदेश संख्या 203/88 भेदभनिर्दिष्ट शाकित्यों उक्त पुलिस आदेश की निर्णय  
 तिथि 18/3/88 से ही प्रभावित मानी जायगी। इस आलोक में दिनांक 18/3/88  
 से इस आदेश निर्णय की तिथि तक पूर्व में अगर उक्त पदाधिकारियों द्वारा  
 उक्त विनिर्दिष्ट शाकित्यों का उपयोग किया गया हो तो इस आदेश के  
 तहत उसे वेद करार दिया जाता है।

महानिरेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के आदेश से

पुलिस 6/8/88  
 । विजयानन्द पाण्डेय  
 आरक्षी महानिरीक्षक कार्मिका, बिहार, पटना।

जापांक 6339 /सक्स/पी  
 2-3-2-83  
 महानिरेशक १५८ प्र. आरक्षी महानिरीक्षक का कायलिय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 6/8/1988

- प्रतिलिपि:-
- 1। मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना
  - 2। आयुक्त सह-सचिव, गृह आरक्षी विभाग, बिहार, पटना
  - 3। वित्त सचिव, बिहार सरकार, पटना
  - 4। मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, बिहार, पटना
  - 5। सभी महानिरेशक/सभी आरक्षी महानिरीक्षक
  - 6। सभी आरक्षी उपमहानिरीक्षक
  - 7। सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा
  - 8। प्राचार्य, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, द्वारीबाग/पदमा
  - 9। आरक्षी प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर, भागलपुर
  - 10। सभी आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक
  - 11। सभी प्रशाखा पदाधिकारी, म०नि० कायलिय, बिहार, पटना
  - 12। पुलिस गजट में प्रकाशनार्थ को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

। सुलोमार भादुरी 6/8/88  
 आरक्षी उपमहानिरीक्षक कार्मिका बिहार, पटना।